



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत..... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर..... मुकाम.....
 नैमाशाम बनाम डी. माराम
 किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88 PTA सं 101 सन् 21

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
05/10/2021	<p>वादी नैमाशाम की ओर से वकील श्री खोकाराम चौधरी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर </p> <p>वादी नैमाशाम की ओर से वकील श्री खोकाराम चौधरी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.10.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर </p> <p>13-X-2021 वादी व जर्ज वाली जजा आज दिनांक 18/10/2021 को उच्चातम गौरी से लगे अफियात 2021 केम - सप्ली में उपस्थित होकर राजस्व रेन्ड जमाकंडी में अशुद्ध नाम वादी अज्ञ नैमाशाम को जो कि नैमाशाम जर्ज है। खली पक्षकारान प्राप्त केम में उपस्थित हुए।</p> <p style="text-align: right;">-संगति-</p>	

- सारांश -

18-X-2021

उपरोक्त पञ्चमसत वारी एवं प्रतिवादी गण के
व्ययन लिखित मास शासित पत्रवली निम्न गरी
राज्य रेडि जमावरी में वारी एवं प्रतिवादी का
निम्नानुसार राज्य रेडि लघाण विभागत
द्वे आदेशिया किता जाता है।

पञ्चमसत राजल रेडि स्वामी लवं 2075 में 2078
तड के खाता सं. 32 व्यतरा नं. पत्. 48 न 49

रेखा अदरा: 0-05, 0-03 व 164-16 नीबा शक्ति
में वारी एवं प्रतिवादी के नाम अक्षर:- दीनमाराण,
अमराराण नेनाराण पि. उमाराण कर्षि किता

जाकर राजल रेडि में शुद्ध खातेदार दर्ज
प्रतिवादी के आदेश लिखित जाते हैं उक्त आदेश
प्रतिवादी की सहमती से वास्तविक शक्ति मौजा


खली कला पटवार क्षेत्र खली तहसील व
जिला बाणेश्वर में खता नंबर 43 रकबा 05
खता नंबर 40 रकबा 03 बिण, 14 खता

नंबर 49 रकबा 164.16 बीबा कुल रकबा
165.04 बीबा के अक्षर जना अक्षर प्रभा

का नाम हुआमा जाकर उसके लगान वारी
के खती सत नेनाराण अक्षर प्रभासत होना

बोझत किता जात है। तहसीलदार बाणेश्वर
तहसिलदार राजल अक्षिलेख में अक्षर से

डिकरी पर्चा अक्षर से। खली पञ्चमसत
किता - अक्षर वजनसे। पञ्चवली में खता
पुनर दोहरा दाखिल वजातर हो। निर्णय
मदने अक्षर में हुआमा जाया।


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइमेर।

अक्षर
दीनमाराण

अक्षर
अमराराण

अक्षर
नेनाराण

Banerjee
(क. वारी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट सरली)
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अंतिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नेनाराम पुत्र प्रभाराम जाति मेघवाल निवासी सरली कला तहसील एवं जिला बाड़मेर		1. टीकमाराम पुत्र प्रभाराम जाति मेघवाल निवासी सरली कला तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 2. अमराराम पुत्र प्रभाराम जाति मेघवाल निवासी सरली कला तहसील व जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :- 101/2021
निर्णय दिनांक :- 18.10.2021

वादी नेनाराम एवं वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी टीकमाराम, अमराराम उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 18.10.2021 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) फास्टट्रेक बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सरली कला तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 47 रकबा 0.05 बिस्वा, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नंबर 48 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 49 रकबा 164.16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 164 बीघा 04 बिस्वा में वादी का अशुद्ध अंकित नाम गेना पुत्र प्रभा हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के सही नाम नेनाराम पुत्र प्रभाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)

पीठासन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, फास्टट्रेक बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये घर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़